आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Textiles Department

Establishment of Handloom Weaving Training Centre

मेघालय वस्त्र विभाग हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, जहां बेरोज़गारों को बुनाई सिखाई जाती है। पूरा खर्च राज्य उठाता है।

क्या मिल सकता है

विभाग के बनाए प्रशिक्षण केंद्रों में बेरोज़गारों को बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार देती है।

किसके लिए है

मेघालय के बेरोज़गार लोग, आयु 18 से 70 वर्ष, योजना पेज में बताए समुदाय से, जो बुनाई सीखना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना पेज में समुदाय एसटी बताया गया है।
- लाभार्थी चुनते समय क्षेत्रीय और ज़िला अधिकारी गांव के मुखिया से भी राय ले सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

1. अपना आवेदन सादे कागज़ पर लिखें।
2. इसे वस्त्र विभाग के नज़दीकी ज़िला अधिकारी के माध्यम से जमा करें। संपर्क के लिए क्षेत्रीय अधिकारी और ज़िला अधिकारी हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/37599
आधिकारिक PDF: https://www.meghalaya.gov.in/sites/default/files/schemes/Schemes_4.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-handloom-weaving-training-centre/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।